न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 04/2024

1. विष्णु पाण्डेय।
2. रामकुमार पुत्रान लक्ष्मीनारायण।
3. तुलसा देवी।
4. मीरा देवी पुत्रीयान लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भरना खुर्द तहसील छाता जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।

...............प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब कामाँ जिला डीग राजस्थान।

...................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री देवेन्द्र सिंह, प्रार्थीगण

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

निर्णय

दिनांक :– 27/12/2024

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी भूमि साविक खसरा नम्बर 2370 मिन/0.11 हाल खसरा नम्बर 1701/0.11 हैक्टेयर बांके कामां नं0–02 तहसील कामां में स्थित है। सबूत में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 व मिलान क्षेत्रफल नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की माता श्रीमति जमुनादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद किया था जिसके बाद प्रार्थीगण की माता जमुना देवी की मृत्यु हो गई और जमुना देवी के वारिसान उक्त प्रार्थीगण विष्णु पाण्डेय, रामकुमार, तुलसादेवी, मीरादेवी वाहिस्सा बराबर के जरिये विरासत इंतकाल नम्बर 5224 से खातेदार काबिज हुये और मौके पर पूर्व के अनुसार काबिज रहकर अब तक काश्त करते चले आ रहे हैं। बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 2370 मिन/0.11 के जब नये नम्बर कायम किये गये जिसमें प्रार्थी का खसरा नम्बर 1701/0.11 कायम कर मिसल बन्दोबस्त में दर्ज कर दिया लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौके की जांच किये खिलाफ कानून व मौका के प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1701/0.11 को नये नक्शा ट्रेस में सही जगह पर दर्ज नहीं किया प्रार्थीगण के पूर्व से ही बयनामा के आधार पर मुताबिक मौका कब्जा पर प्रार्थीगण अपने मुताबिक हिस्से पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1701/0.11 को गलत दर्ज किये जाने से प्रार्थीगण सख्त हक तलफी हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण मौका कब्जा के अनुसार नक्शा ट्रेस बन्दोबस्त भी शुद्व चाहता है व जमाबन्दी संवत् 2074/77 में जब जमुना देवी की विरासत प्रार्थीगण के नाम खोली गई तो सहवन भूल से प्रार्थी मीरादेवी की जगह मीना देवी कर दिया गया तथा नवीन जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

संवत् 2074–77 बनाते समय रामकुमार की जगह सहवन भूल से रामअवतार दर्ज कर दिया जो गलत है। इन नामों में भी प्रार्थीगण अपने नाम को सही दर्ज कराना चाहते हैं। जो न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे कि हाल बन्दोबस्त नक्शा में खसरा नम्बर 1701/0.11 को सही जगह पर मौका कब्जा के अनुसार शुद्व किये जाने के आदेश फरमाये जावें व प्रार्थीगण का नाम मीना देवी के स्थान पर मीरा देवी व रामअवतार के स्थान पर रामकुमार शुद्व किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार कामां को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार कामां द्वारा अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2024/1493 दिनांक 19.07.2024 से अपनी मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट में अवगत कराया है कि कस्बा कामां नं0–02 के साविक खसरा नम्बर 2370 के हाल नम्बर बन्दोवस्त विभाग ने आराजी खसरा नम्बर 1700/0.12 हैक्टेयर एवं 1701/0.11 हैक्टेयर बनाये गये हैं जो नवीन नक्शा शीट में कब्जानुसार नहीं दर्शाये गये हैं। आराजी खसरा नम्बर 1701/0.11 पर जमाबन्दी संवत् 2074–77 में विष्णु पाण्डेय, रामअवतार पिसरान लक्ष्मीनारायण, तुलसा देवी, मीना देवी पुत्रीयान लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण व0हि0ब0 साकिन भरना खुर्द तहसील छाता जिला मथुरा दर्ज रिकॉर्ड है जबकि मौके पर अमरनाथ पुत्र बच्चूसिंह हिस्सा 1/6, कन्हैया विजयसिंह पिसरान बच्चूसिंह व0हि0 1/3 व मंगतू पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 जाति लोधा सा0 देह खातेदार काबिज है। आराजी खसरा नम्बर 1700/0.12 जमाबन्दी संवत् 2074–77 में अमरनाथ, कन्हैया, विजयसिंह पिसरान बच्चूसिंह व0हि0 1/2, मंगतू पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 जाति लोधा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जबकि मौके पर विष्णु पाण्डेय, रामवतार पिसरान लक्ष्मीनारायण व तुलसादेवी, मीना देवी पुत्रीयान लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण निवासी भरना खुर्द तहसील छाता जिला मथुरा खातेदार काबिज है। उक्त खसरा नम्बर में विष्णु पाण्डेय वगैरा के मकान व वाउन्ड्रीवाल बने हुए हैं। अतः मौका कब्जानुसार आराजी खसरा नम्बर 1700 रकबा 0.11 हैक्टेयर पर अमरनाथ, कन्हैया, विजयसिंह पिसरान बच्चूसिंह व0हि0व0 1/2, मंगतू पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 जाति लोधा साकिन कस्बा कामां तथा आराजी खसरा नम्बर 1701/0.12 हैक्टेयर पर तुलसादेवी, मीना देवी पुत्रीयान लक्ष्मीनारायण, विष्णु पाण्डेय व रामावतार पिसरान लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण की शुद्वि किया जाना उचित होगा। जमाबन्दी संवत् 2067–70 के अनुसार मीनादेवी के स्थान पर मीरादेवी तथा रामवतार के स्थान पर रामकुमार की शुद्वि किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि हाल बन्दोबस्त नक्शा में खसरा नम्बर 1701/0.11

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

को सही जगह पर मौका कब्जा के अनुसार शुद्व किये जाने के आदेश फरमाये जावें व प्रार्थीगण का नाम मीना देवी के स्थान पर मीरा देवी व रामअवतार के स्थान पर रामकुमार शुद्व किया जावे तथा तहसीलदार कामां से प्राप्त मौका रिपोर्ट में मौका कब्जा अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1700 रकबा 0.11 हैक्टेयर पर अमरनाथ, कन्हैया, विजयसिंह पिसरान बच्चूसिंह व0हि0व0 1/2, मंगतू पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 जाति लोधा साकिन कस्बा कामां तथा आराजी खसरा नम्बर 1701/0.12 हैक्टेयर पर तुलसादेवी, मीना देवी पुत्रीयान लक्ष्मीनारायण, विष्णु पाण्डेय व रामावतार पिसरान लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण की शुद्वि किये जाने तथा जमाबन्दी संवत् 2067–70 के अनुसार मीनादेवी के स्थान पर मीरादेवी तथा रामवतार के स्थान पर रामकुमार की शुद्वि किये जाने की अभिशंषा की गई है चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त नामों को शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि जमाबन्दी संवत् 2067–70 के अनुसार मीना देवी के स्थान पर मीरादेवी तथा रामअवतार के स्थान पर रामकुमार की शुद्वि की जाती है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार कामां को राजस्व रिकॉर्ड में पालना किये जाने हेतु प्रेषित की जावे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

(दिनेश शर्मा)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ जिला डीग

निर्णय आज दिनांक 27/12/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश शर्मा)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ जिला डीग

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०